Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2021 = 7.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, MAY-JUNE, 2021, VOL- 8/65

भारत में राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तन के प्रति 'राजनीतिक–अभिजनों' के अभिमत/दृष्टिकोण

गौरव यादव

शोध छात्र– राजनीति विज्ञान, जे0 एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद

Abstract

*भारतीय राजनीति ने ध्रुवीकरण, राजनीतिक सक्षमता, राजनीतिक प्रभाविता आदि अनेक संप्रत्ययों को जन्म दिया है। **''विधान मण्डलीय अभिजन'' संप्रभु वर्ग का एक नवीन आयाम है।** लोकतांत्रिक समाजों में किसी भी व्यक्ति अथवा समूह को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला ही व्यक्तियों की सहभागिता होती है। दुर्भाग्यवश परम्परावादी भारतीय समाज में सदियों से शोषित तथा पीड़ित भारत की अनुसूचित जातियों एवं अल्प संख्यक वर्गों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक विकास तथा उत्थान अभी भी आशा के अनुरूप नहीं हो सका है। इनके उत्थान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका विधान मण्डलीय अभिजनों की है; जिसमें विधानसभा तथा विधान परिषद् दोनों ही सदनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं। अभिजनों की **'नारी की राजनीतिक सहभागिता के प्रति'** पूर्ण मान्यता है। अनुसूचित जाति के विधान मण्डलीय अभिजनों में से छात्र राजनीति को 62(64.58 प्रतिशत) अभिजनों ने पूर्ण मान्यता प्रदान की है अहिंसात्मक समाज के निर्माण में नेतृत्व की भूमिका को असहयोगात्मक मानते हैं तथा अस्वीकार करते हैं।*

पारिभाषिक शब्दः *विधान मण्डलीय अभिजन, सहभागिता, शोषित वर्ग, संप्रभु वर्ग*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

तथ्यों का विश्लेषण एवं निष्कर्षः

वास्तव में लोकतन्त्रत में भी इन्हीं का शासन होता है। जनता का शासन तो सिद्धान्त तक ही सीमित होता है। राजनीतिक व्यवस्था के संचालन व मूल्यों के निर्धारण में इसी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रहती हैं। रातनीतिक व्यवस्था के सन्दर्भ में इन्हें राजनीतिक अभिजन कहा जाता है। साधारण अर्थ में '' राजनीतिक अभिजन वे लोग हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक व्यवस्था के संचालन और उसकी निर्णयकारिता को प्रभावित करते है। '' राजनीतिक अभिजन को कुछ विचारकों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया हैं:–

1. **लॉसवैल के अनुसार –** '' राजनीतिक अभिजन राजनीतिक व्यवस्था के सत्ता धारक है।''

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

2. **पैरेटों के अनुसार –** '' राजनीतिक अभिजन में वे सफल लोग हैं जो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊपर आ जाते हैं।
3. **कार्ल जे0 फ्रेडरिक के अनुसार–** '' राजनीतिक अभिजन उन व्यक्तियों का समूह होता है जो राजनीति में अद्वितीय कार्य सम्पन्न करने के कारण विशिष्ट होते हैं। यह वर्ग समाज विशेष के शासन को प्रभावशाली ढंग से अपने हाथों में केन्द्रित कर लेता है। इसमें समूह की भावना होती है जिसे यह समय–समय पर सहयोग के रूप में व्यक्त करता है। यह वर्ग शक्ति और शासन प्राप्त करने की योग्यता में पर्याप्त आगे बढ़ जाता है।''
4. **जी0डी0एच0 कोल के अनुसार**– ''राजनीतिक अभिजन एक ऐसा समूह है, जो राजनीतिक समाज के प्रत्येक स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने तथा प्रभाव डालने की स्थिति में होता है।''

<u>नारी और राजनीतिक सहभागिता के प्रति अभिजनों के अभिमत/दृष्टिकोण</u> :

हमारे यहाँ 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और नये संविधान की धारा 15 (भाग 1) तथा धारा 44 के द्वारा स्त्रियों के लिए पुरूषों के समान व्यापक राजनैतिक अधिकारों की व्यवस्था की गयी। अध्ययन किए गए सभी 96 अभिजनों से यह जाना गया कि भारतीय संदर्भ में 'नारी की राजनीतिक सहभागिता' के प्रति उनकी क्या मान्यता है? निम्न तालिका 1 अध्ययन से प्राप्त जानकारी पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है :–

तालिका नं0 1 : 'नारी की राजनीतिक सहभागिता' के प्रति अभिजनों की मान्यता

क्रम	भारतीय प्रसंग में नारी की राजनीतिक सहभागिता के प्रति अभिजनों की मान्यता	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1	पूर्ण मान्यता	52	54.17
2	आंशिक मान्यता	25	26.04
3	अमान्यता / मान्यता नहीं	08	08.33
4	कोई उत्तर नहीं	11	11.46
	समस्त	96	100.00

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका 1 के आनुभविक तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 52(54.17 प्रतिशत) अभिजनों की **'नारी की राजनीतिक सहभागिता के प्रति'** पूर्ण मान्यता है। इस सन्दर्भ में आंशिक मान्यता रखने वाले अभिजन 26.04 प्रतिशत है। लेकिन 8.33 प्रतिशत

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

अभिजन ऐसे भी हैं, जो नारी की राजनीतिक सहभागिता के विरूद्ध हैं तथा 11.46 प्रतिशत अभिजनों ने इस सन्दर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया है। इन प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण के प्रकाश में स्पष्ट है कि अधिकांशतः अनुसूचित जातियों के विधान मण्डलीय अभिजन **'नारी की राजनीतिक सहभागिता'** के पक्ष में है। जो उनके प्रगतिशील विचारों का प्रतीक है।

अनुसूचित जाति अभिजनों के छात्र राजनीति के प्रति अभिमत/दृष्टिकोण :

इकबाल नरायन (2004:6) के अनुसार किसी भी देश की राजनीति का गहरा सम्बन्ध उस देश के छात्रों से होता है। छात्रों ने देश की राजनीतिक नियति को आकार प्रदान करने में निर्णायक भूमिका अदा की है और राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित भी किया है। भारत में सन् 1974–77 तक छात्रों की राजनीति में भूमिका ऐतिहासिक एवं स्मरणीय है। सत्ता के परिवर्तन में जन मानस को दिशा देने में युवा वर्ग की भूमिका का इससे सशक्त उदाहरण नहीं मिलता। शोधार्थी ने भी सभी 96 अनुसूचित जाति के विधान मण्डलीय अभिजनों के इस प्रसंग में अभिमत/ मान्यताएं जाने हैं जिस पर निम्न तालिका नं. 2 संक्षिप्त प्रकाश डालती है–

तालिका नं0 2 : छात्र राजनीति के प्रति अभिजनों की मान्यताएं

क्रम	छात्र राजनीति के प्रति अभिजनों की मान्यताएं (अभिमत)	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1	पूर्ण मान्यता	62	64.58
2	आंशिक मान्यता	26	27.08
3	अमान्यता (मान्यता न देना)	05	05.21
4	कोई उत्तर नहीं	03	03.13
	समस्त	96	100.00

प्रस्तुत तालिका नं. 2 के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल 96 अनुसूचित जाति के विधान मण्डलीय अभिजनों में से छात्र राजनीति को 62(64.58 प्रतिशत) अभिजनों ने पूर्ण मान्यता प्रदान की है लेकिन राजनीति को आंशिक मान्यता देने वाले अभिजनों का प्रतिशत 27.08 पाया गया है। मात्र 5.21 प्रतिशत अभिजन छात्र राजनीति की मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। कोई उत्तर न देने वाले अभिजनों का प्रतिशत 3.13 है। निष्कर्ष है कि अधिकाँशतः विधान मण्डलीय अभिजन 'छात्र राजनीति' को पूर्ण मान्यता प्रदान करते हैं। वे इसके पक्ष में हैं।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

अनुसूचित जाति अभिजनों के 'अहिंसात्मक समाज और नेतृत्व' के प्रति दृष्टिकोणः

'अहिंसा' का शाब्दिक अर्थ है न मारना। गाँधी जी का विश्वास था कि प्रजातांत्रिक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में अहिंसा आवश्यक तत्व है। शोधार्थी ने सभी 96 अभिजनों के विचार जाने हैं कि 'अहिंसात्मक समाज के निर्माण में नेतृत्व की भूमिका कैसी होगी?' निम्न तालिका नं. 3 सभी 96 अभिजनों के अभिमत दर्शाती है–

तालिका नं0 3ः अहिंसात्मक समाज के निर्माण में नेतृत्व की भूमिका के प्रति अभिजनों के दृष्टिकोण

क्रम	अहिंसात्मक समाज निर्माण में नेतृत्व की भूमिका के प्रति अभिजनों के दृष्टिकोण	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1	सहयोगात्मक	71	73.95
2	असहयोगात्मक	11	11.46
3	उदासीन	14	14.59
	समस्त	96	100.00

प्रस्तुत तालिका नं. 3 के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांश विधान मण्डलीय अभिजन 'अहिंसात्मक समाज के निर्माण' में नेतृत्व की भूमिका को स्वीकार करते हैं तथा सहयोगात्मक मानते हैं। जबकि मात्र 11.46 प्रतिशत अभिजन, अहिंसात्मक समाज के निर्माण में नेतृत्व की भूमिका को असहयोगात्मक मानते हैं तथा अस्वीकार करते हैं तथा 14.59 प्रतिशत अभिजनों ने इस प्रश्न के उत्तर 'उदासीन' रूप में दिये हैं।

अहिंसात्मक समाज के निर्माण की सम्भावनाओं के प्रति अभिजनों के दृष्टिकोणः

सभी 96 अनुसूचित जाति के विधान मण्डलीय अभिजनों से यह पूछने पर कि 'क्या निकट भविष्य में अहिंसात्मक समाज के निर्माण की सम्भावनाएं है?' अभिजनों के व्यक्तिगत साक्षात्कारों से प्राप्त प्राथमिक आँकड़ों पर निम्न तालिका 4 संक्षिप्त प्रकाश डालती है–

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

तालिका नं0 4 : निकट भविष्य में अहिंसात्मक समाज के निर्माण की सम्भावना के प्रति अभिजनों के अभिमत/दृष्टिकोण

क्रम	निकट भविष्य में अहिंसात्मक समाज निर्माण की सम्भावना के प्रति अभिजनों के दृष्टिकोण	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1	हाँ	18	18.75
2	नहीं	56	58.33
3	कह नहीं सकते	22	22.92
	समस्त	96	100.00

प्रस्तुत तालिका नं. 4 के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अधिकांश 58.33 प्रतिशत विधान मण्डलीय अभिजन निकट भविय में अहिंसात्मक समाज के निर्माण की सम्भावना से इन्कार करते हैं। जबकि मात्र 18.75 प्रतिशत इस प्रसंग में सकारात्मक अभिमत प्रकट करने वाले पाए गए हैं किन्तु 22.92 प्रतिशत ने इस सम्बन्ध में 'कुछ नहीं कह सकते' उत्तर दिया।

भारतीय जनता के प्रति अभिजनों के दृष्टिकोण : शोधार्थी ने सभी 96 अभिजनों से 'भारतीय जनता के विषय में पूछा' कि वह कैसी है (सजग/अज्ञानी/अन्धविश्वासी/विवेकशील) ? प्राप्त उत्तरों पर निम्न तालिका नं. 5 संक्षिप्त प्रकाश डालती है–

तालिका नं0 5 : 'भारतीय जनता के प्रति' अभिजनों की धारणा/दृष्टिकोण

क्रम	भारतीय जनता के प्रति अभिजनों की धारणा (दृष्टिकोण)	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1	पूर्ण सजग	42	43.75
2	अज्ञानी (अविवेकी)	24	25.00
3	भ्रमों तथा अन्धविश्वासों की शिकार	27	28.13
4	अन्य प्रत्युत्तर (धारणा)	03	03.12
	समस्त	96	100.00

प्रस्तुत तालिका नं. 5 के प्राथमिक तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि अध्ययन किए कुल 96 अभिजनों में से 43.75 प्रतिशत का मानना है कि भारत की जनता पूर्ण सजग है; 25 प्रतिशत का कहना है कि भारत की जनता अविवेकी है, 28.13 प्रतिशत अभिजनों का मानना है कि भारत की जनता भ्रम व अन्धविश्वासी है तथा मात्र 3.12 प्रतिशत अभिजनों ने अन्य धारणा व्यक्त की हैं। सुस्पष्ट है कि भारत की जनता पूर्णतः जागरूक है।

आधुनिक भारतीय परिवर्तन की गति के प्रति अभिजनों के दृष्टिकोण :

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए जहाँ एक तरफ

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

नगरीकरण, औद्योगीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण इत्यादि प्रक्रियाएं जिम्मेदार हैं वहीं इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि सरकार भी प्रयासरत है। शोधार्थी ने अपने सभी 96 अभिजनों से पूछा कि 'भारतीय समाज में परिवर्तन की गति' के बारे में आपके क्या विचार हैं? प्राप्त प्रत्युत्तरों पर निम्न तालिका नं. 6 संक्षिप्त प्रकाश डालती है–

तालिका नं0 6 : 'आधुनिक भारतीय परिवर्तन की गति के सन्दर्भ में' अभिजनों का मत

क्रम	आधुनिक भारतीय परिवर्तन की गति के सम्बन्ध में अभिजनों के मत	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1	'अच्छी लेकिन मंद'	35	36.46
2	'अच्छी लेकिन तेज'	39	40.63
3	'बुरी'	22	22.91
	समस्त	96	100.00

प्रस्तुत तालिका नं. 6 के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययन किए गए कुल 96 अभिजनों में से 36.46 प्रतिशत अभिजनों का मानना है कि आधुनिक भारतीय परिवर्तन की गति पहले से अच्छी है लेकिन मन्द है; लेकिन 40.63 प्रतिशत अभिजनों का कहना है कि परिवर्तन की दर पहले से अच्छी है लेकिन अधिक तेज है। जबकि 22.91 प्रतिशत अभिजनों के अनुसार भारत में हो रहा परिवर्तन लोकतॉंत्रिक न होने की बजह से अच्छा नहीं है क्योंकि जनहितकारी नहीं है।

भारत में परिवर्तन की दशा एवं दिशा के प्रति अभिजनों के अभिमत/दृष्टिकोणः

परिवर्तन की दिशा अत्यन्त विवादास्पद एवं विचारणीय प्रश्न है। अतः इस सम्बन्ध में पश्चिमीकरण के प्रति अभिजनों के मतों को जानना आवश्यक समझा गया है– इसी संदर्भ में भारतीयता एवं पश्चिमीकरण की लोकप्रियता के सन्दर्भ में सभी 96 अभिजनों से प्राप्त जानकारी पर निम्न तालिका नं. 7 संक्षिप्त प्रकाश डालती है :–

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

तालिका नं0 7: 'भारत में परिवर्तन की दिशा के प्रति' अभिजनों का मत (विचार)

क्रम	भारत में परिवर्तन की दिशा के प्रति अभिजनों के अभिमत	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1	भारतीयता की तरफ	44	45.83
2	पश्चिमी सभ्यता की तरफ	22	22.92
3	मिश्रित आधुनिकता की तरफ	30	31.25
	समस्त	96	100.00

भारत में परिवर्तन की दिशा क्या होनी चाहिए? इसको तीन श्रेणियों में विभक्त करके प्रतिक्रियायें आमंत्रित की गयी। प्रथम कोटि में (भारतीयता की तरफ) अभिजनों का प्रतिशत सबसे अधिक 45.83 रहा है।

निष्कर्षः आज भी अनुसूचित जातियों में भारतीय जीवन और दर्शन के प्रति स्नेह बना हुआ है। वे कुछ रूढ़ियों को तोड़ना चाहते हैं और कुछ मूल्यों को बनाये रखना भी चाहते हैं। उनके जीवन पर पाश्चात्यीकरण का पूर्ण रूपेण प्रभाव नहीं पड़ा है और कुछ भी पड़ा है नयी पीढ़ी तक सीमित लगता है अतः तीसरे वर्ग (मिश्रित आधुनिकता की तरफ) 31.25 प्रतिशत अभिजन पाए गए हैं। वे पाश्चात्य मूल्य जो उनके जीवन में सहयोग प्रदान करते हैं, को तो वह स्वीकार कर लेना चाहते हैं परन्तु सभी पाश्चात्य मूल्यों पर उनकी आस्था नहीं दिखायी देती। इसीलिये उनके जीवन में भारतीयता तथा पश्चिमी सभ्यता का समन्वय हो जाता है। पूर्ण पश्चिमीकरण के पक्ष में 22. 92 प्रतिशत अनुसूचित जाति विधान मण्डलीय अभिजन पाए गए हैं। स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति अभिजनों के हित में समन्वयात्मक प्रवृत्तियाँ अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हैं। इनके उत्थान के लिये इस प्रकार की योजनाओं को बनाया जाय जो अधिक उपयोगी तथा तात्कालिक व सकारात्मक प्रभाव वाली हों।

संदर्भः

मेहता सुशीला (2010) ग्रामीण समुदाय में सामाजिक संघर्ष, एस. चन्द एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली।

कपूर प्रमिला (2007) पूर्वोक्त, विकास पब्लि0 दिल्ली।

झा शशिशेखर (2002) बिहार में राजनीतिक अभिजन, बोरा एण्ड कम्पनी बाम्बे।

सिंह जे.एन. (2003) उत्तर प्रदेश तथा बिहार के विधान मण्डलीय अभिजन, इण्डोलाजिकल बुक हाउस, वाराणसी।

रूडोल्फ एण्ड रूडोल्फ(2010) उद्घृत इकबाल नरायन; भारत के एक राज्य में ग्रामीण अभिजनः ग्राम प्रधानों का अध्ययन, विकास प्रकाशन, दिल्ली।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies